



FOREST DEPARTMENT GOVT. OF HARYANA

O/o Deputy Conservator of Forests, Bhiwani

Meham Road, Vidya Nagar, Bhiwani, Tel. No. 01664-242430, E-mail:-dfo.bhiwani@yahoo.com

क्रमांक /
सेवा में,

620.

दिनांक / 19/06/2025

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0),
हरियाणा, पंचकूला।

विषय :-

Diversion of 0.0019 ha. of forest land for construction of open drain in addition to 0.081 ha. forest land already diverted for access to Retail outlet of Indian Oil Corporation Ltd. Khasra No. 161//13 at village Lohani on Bhiwani Loharu road (NH-709B) Km 136.702 R/Side under forest division and District Bhiwani, Haryana.

Proposal No. FP/HR/Others/150474/2021.

संदर्भ :-

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), का पत्र क्रमांक F. No: 9-HRB151/2022-CHA दिनांक 01.05.2025.

संदर्भांकित पत्र के द्वारा उक्त प्रस्ताव में निम्न प्रकार से EDS लगाये गये है:-

1. This proposal was initiated by the User Agency on 31.12.2021 as per the Timeline on Parivesh Portal and the offence report was recorded by the forest staff on 10.01.2022. Hence, as per the guidelines, it should be dealt under para 1.21(ii).
2. Keeping in view of the above, the State Government is requested to ascertain why and under which circumstances the DFO concerned reported this instant case as a violation of the provisions of Indian Forest Act, 1927 not Forest (Conservation) Act, 1980. A detailed report in this regard from the State Government needs to be submitted keeping in view of the above, the State Government is requested to ascertain why and under which circumstances the DFO concerned reported this instant case as a violation of the provisions of Indian Forest Act, 1927 not Forest (Conservation) Act, 1980. A detailed report in this regard from the State Government needs to be submitted.

अतः उक्त दोनो EDS के संबंध में आपको अनुरोध सहित अवगत करवाया जाता है कि उक्त प्रस्ताव दिनांक 31.12.2021 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था, तथा इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2621 दिनांक 10.01.2022 द्वारा वन राजिक अधिकारी, भिवानी से मौका निरीक्षण रिपोर्ट मांगी गई थी। दिनांक 10.01.2022 को वन रक्षक द्वारा वन क्षेत्र पर अतिक्रमण की क्षति रिपोर्ट नं0 086/0679, IFA 1927 के तहत चाक की गई थी, क्योंकि उस समय तक वन रक्षक को इस बारे में ज्ञात नहीं था कि उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु यूजर एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत आवेदन किया हुआ था, जिस कारण वन रक्षक द्वारा क्षति रिपोर्ट IFA 1927 के तहत चाक की गई थी। तदोपरांत क्षति रिपोर्ट अनुसार मुआवजा राशि GRN No. 009078799 दिनांक 26.05.2022 CIN No. 48565807 दिनांक 27.05.2022 द्वारा सरकारी खजाने में जमा करवा दी गई थी। उक्त

वर्णित स्थिति अनुसार IFA, 1927 के तहत कार्यवाही की गई है। यह आपको सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।


उप वन संरक्षक,
भिवानी।

पृ० क्र०.....

दिनांक.....

इसकी एक प्रति वन संरक्षक, पश्चिमी परिमंडल, हिसार को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

— हस्ता. —
उप वन संरक्षक,
भिवानी।